

खस वाद GCMS नंबर 2021/214 बअनवान मोहबतसिंह बनाम जालमसिंह वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

रीख
कम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामिल
में जारी हुये

12 ⁰¹/₂₆

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपरिथत। वकील प्रतिवादी उपरिथत। प्रकरण में तहसीलदार बाली के कार्यालय पत्रांक भू.अ./2025/1964 दिनांक 11.09.2025 से प्रकरण में पुनः प्राप्त विभाजन रिपोर्ट पर वकील प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति एवं वकील वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र के जवाब के अनुसार प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि तहसीलदार बाली द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव पर वादी मोहबतसिंह व प्रतिवादी संख्या 02 के हस्ताक्षर के साथ दो मौतबिरान के भी हस्ताक्षर है तथा प्रस्तुत विभाजन के नक्शे के अवलोकन से यह ज्ञात है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02 के हिस्से बंट में रास्ते की ओर सभी के भूमि रखी गई है। इतना ही नहीं सभी खातेदारों की भूमि में आवागमन के लिये पृथक से रास्ता भी प्रस्तावित किया गया है। प्रकरण में वर्ष 2022 में प्राप्त रिपोर्ट पर भी इसी आशय की आपत्ति की गई थी एवं अब पुनः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर इसी आशय की आपत्ति करना न्यायसंगत नहीं है। जिससे वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार करते हुये तहसीलदार बाली के कार्यालय पत्रांक भू. अ. 2025/1964 दिनांक 11.09.2025 से प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम रघुनाथपुरा के खसरा नंबर 14 से 27 कुल खसरा 14 कुल रकबा 3.77 हैक्टर के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है।

क. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	रंग
1	मोहबत सिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत सा. दूदनी खातेदार	19 18 21 24/2	0.43 0.19 0.13 0.41	चाही दायम-0.31 जाव दायम-0.12 चाही दायम-0.15 जाव दायम-0.04 चाही दायम-0.11 जाव दायम-0.02 जाव दायम=0.41	9.92 1.32 4.80 0.44 3.52 0.22 4.51	
	कुल खसरे	4	1.16	चाही दायम 0.57 जाव दायम 0.59	24.73	
2	जालमसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत सा. दूदनी खातेदार	20/1 24/3 25 26 27	0.19 0.19 0.27 0.08 0.43	चाही दायम-0.19 जाव दायम-0.19 जाव दायम-0.27 गै.मु. पत्थर-0.08 चाही दायम-0.14 जाव दायम-0.29	6.08 2.09 2.97 - 4.48 3.19	
	कुल खसरे	5	1.16	चाही दायम-0.33 जाव दायम-0.75 गै.मु. पत्थर-0.08	18.81	
3	सूरसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत सा. दूदनी खातेदार राहिन हिस्सा(पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्राभीण बैंक शाखा वेडा	20/2 22 23 24 25/1	0.47 0.17 0.05 0.20 0.27	चाही दायम-0.27 जाव दायम-0.20 चाही दायम-0.10 जाव दायम-0.07 गै.मु. पत्थर -0.05 जाव दायम-0.16 चाही दायम-0.04 जाव दायम-0.11 चाही दायम-0.16	8.64 2.20 3.20 0.77 - 1.76 1.28 1.21 5.12	
	कुल खसरे	5	1.16	चाही दायम-0.57 जाव दायम-0.54 गै.मु. पत्थर-0.05	24.18	



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामिल
में जारी हुये

जालमसिंह	14	0.01	गै.मु बेरा- 0.01		
पुत्र हीरसिंह	15	0.06	गै.मु सडा- 0.06		
हिस्सा 1/3	16	0.01	गै.मु बेरा- 0.01		
जाति	17	0.07	गै.मु सडा- 0.07		
राजपूत सा.	19/1	0.03	जाव दोयम- 0.03	0.33	
दूदनी	20	0.03	जाव दोयम- 0.33	0.33	
खातेदार	24/1	0.07	चाही दोयम-0.07	2.24	
मोहबबतसिंह	26/1	0.01	गै.मु पत्थर -0.01		
पुत्र हीरसिंह					
हिस्सा 1/3					
जाति					
राजपूत सा.					
दूदनी					
खातेदार					
सूरसिंह पुत्र					
हीरसिंह					
हिस्सा 1/3					
जाति					
राजपूत सा.					
दूदनी					
खातेदार					
राहिव					
हिस्सा 1/3					
(पूर्ण खाता)					
राजस्थान					
मरूधरा					
ग्रामीण बैंक					
शाखा वेडा					
कुल खसरे	8	0.29	चाही दोयम-0.07 जाव दोयम-0.06 गै.मु पत्थर-0.01 गै.मु बेरा- 0.02 गै.मु सडा- 0.13	2.90	

नोट:- प्रकरण में वर्तमान प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार उपहार का नामांतरकरण संख्या 922 दिनांक 27.10.2025 को सीवीकृत होने के पश्चात खसरा नंबर 14 से 20 और 22 से 27 कुल खसरा 13 कुल रकबा 3.64 हैक्टर में सूरसिंह पुत्र हीरसिंह के बजाय मदन कंवर पत्नी सूरसिंह उर्फ बाबूसिंह हि0 1/3 दर्ज हो गया है। जिससे विभाजन के पश्चात सूरसिंह पुत्र हीरसिंह के हिस्से बंट की भूमि में मदन कंवर पत्नी सूरसिंह उर्फ बाबूसिंह जाति राजपूत खातेदार रहेगी।

तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। तदनुसार डिक्री पचा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12-01-26 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।



सहसचिव कलियुक्त एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिक्री बमुकदमें इब्ददाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाळा दीवानी)

ज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्णोई, आर.ए.एस.

मोहब्बतसिंह पुत्र हीरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी दूदनी तह. बाली जिला पाली
बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. जालमसिंह पुत्र हीरसिंह
2. सूरसिंह पुत्र हीरसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण दूदनी तहसील बाली
3. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gems No. 2021/214

वाद अंतर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब मुद्ई व मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद विभाजन प्रस्तावानुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 14 से 27 कुल खसरा 14 कुल रकबा 3.77 हैक्टर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान	रंग
1	मोहब्बत सिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत सा. दूदनी खातेदार	19	0.43	चाही दोयम-0.31	9.92	
		18	0.19	जाव दोयम-0.12	1.32	
				चाही दोयम-0.15	4.80	
		21	0.13	जाव दोयम-0.04	0.44	
				चाही दोयम-0.11	3.52	
		24/2	0.41	जाव दोयम-0.02	0.22	
				जाव दोयम-0.41	4.51	
कुल खसरे		4	1.16	चाही दोयम 0.57 जाव दोयम 0.59	24.73	
2	जालमसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत सा. दूदनी खातेदार	20/1	0.19	चाही दोयम-0.19	6.08	
		24/3	0.19	जाव दोयम-0.19	2.09	
		25	0.27	जाव दोयम-0.27	2.97	
		26	0.08	गै.मु. पत्थर-0.08	-	
		27	0.43	चाही दोयम-0.14	4.48	
				जाव दोयम-0.29	3.19	
कुल खसरे		5	1.16	चाही दोयम-0.33 जाव दोयम-0.75 गै.मु. पत्थर-0.08	18.81	
3	सूरसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत सा. दूदनी खातेदार राहिन हिस्सा(पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा वेडा	20/2	0.47	चाही दोयम-0.27	8.64	
		22	0.17	जाव दोयम-0.20	2.20	
		23	0.05	चाही दोयम-0.10	3.20	
		24	0.20	जाव दोयम-0.07	0.77	
		25/1	0.27	गै.मु. पत्थर -0.05		
				जाव दोयम-0.16	1.76	
				चाही दोयम-0.04	1.28	
				जाव दोयम-0.11	1.21	
				चाही दोयम-0.16	5.12	
		कुल खसरे		5	1.16	चाही दोयम-0.57 जाव दोयम-0.54 गै.मु. पत्थर-0.05
4.	जालमसिंह पुत्र हीरसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत सा.	14	0.01	गै.मु. बेरा- 0.01		
		15	0.06	गै.मु. सडा- 0.06		
		16	0.01	गै.मु. बेरा- 0.01		
		17	0.07	गै.मु. सडा- 0.07		



सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

खातेदार हब्बतसिंह पुत्र हीरसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत सा. दूदनी खातेदार सूरसिंह पुत्र हीरसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत सा. दूदनी खातेदार राहिव हिस्सा 1/3 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बेडा	19/1 20 24/1 26/1	0.03 0.03 0.07 0.01	जाव दायम- 0.03 जाव दायम- 0.33 चाही दायम-0.07 गै.मु पत्थर -0.01	0.33 0.33 2.24	
कुल खसरे	8	0.29	चाही दायम-0.07 जाव दायम-0.06 गै.मु पत्थर-0.01 गै.मु बेरा- 0.02 गै.मु सडा- 0.13	2.90	

नोट:- प्रकरण में वर्तमान प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार उपहार का नामांतरकरण संख्या 922 दिनांक 27.10.2025 को सीवीकृत होने के पश्चात खसरा नंबर 14 से 20 और 22 से 27 कुल खसरा 13 कुल रकबा 3.64 हैक्टर में सूरसिंह पुत्र हीरसिंह के बजाय मदन कंवर पत्नी सूरसिंह उर्फ बाबूसिंह हि0 1/3 दर्ज हो गया है। जिससे विभाजन के पश्चात सूरसिंह पुत्र हीरसिंह के हिस्से बंट की भूमि में मदन कंवर पत्नी सूरसिंह उर्फ बाबूसिंह जाति राजपूत खातेदार रहेगी।

तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12-01-26 को जारी की गई।



(दिनेश विश्वाजी)
सहायक कमिश्नर एवं पट्टेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

